संख्या– 160 /06(120)/2022/XXVII(8)/2026

प्रेषक,

नवनीत पाण्डे,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त राज्य कर,
उत्तराखण्ड देहरादून।

वित्त अनुभाग–8 देहरादून : दिनांक 07 फरवरी, 2026

विषयः– फिल्म शीर्षक "गोदान" को राज्य के भीतर प्रोत्साहित किये जाने के क्रम में एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–4842 दिनांक 07 फरवरी, 2026 के सन्दर्भ में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघरों द्वारा फिल्म शीर्षक "गोदान" के सन्दर्भ में सिनेमाघरों में प्रवेश के माध्यम से दी जाने वाली सेवा पर राज्य के भीतर भुगतान किये जाने वाले एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2– यह प्रतिपूर्ति इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से तीन माह तक की अवधि में मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघरों में फिल्म शीर्षक "गोदान" के प्रदर्शन पर भुगतान किये गए एस0जी0एस0टी0_पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन देय होगी :–

1. मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघरों द्वारा उक्त अवधि में भी नियमित रूप से एस0जी0एस0टी0 तथा सी0जी0एस0टी0 का भुगतान किया जायेगा। उनके द्वारा ग्राहक को जारी किये जाने वाले बिक्री बीजकों में एस0जी0एस0टी0_तथा सी0जी0एस0टी0 प्रभारित करते हुये बिक्री बीजक जारी किया जायेगा, किन्तु एस0जी0एस0टी0_की मद में विहित कर की धनराशि ग्राहक से वसूल नहीं की जायेगी। इसके अतिरिक्त मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघरों द्वारा फिल्म "गोदान" के लिये उक्त अवधि में जारी टिकटों पर "उत्तराखण्ड सरकार के आदेशों से एस0जी0एस0टी0_संग्रहित नहीं किया जा रहा है (SGST not Collected by the Orders of Government of Uttarakhand), अंकित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
2. यदि मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघरों द्वारा बिक्री बीजक में प्रभारित एस0जी0एस0टी0_को ग्राहक से वसूल कर लिया गया है, तो इस योजना के अन्तर्गत मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघरों को एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी।
3. मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघरों द्वारा अधिनियम और तद्वीन निर्मित नियमों के अनुसार रिटर्न दाखिल किया जायेगा।
4. मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघरों द्वारा बिक्री बीजक में दर्शायी गयी आपूर्ति पर एस0जी0एस0टी0 तथा सी0जी0एस0टी0 अधिनियम और तद्वीन निर्मित नियमों के अनुसार जमा करवाया जायेगा।
5. प्रतिपूर्ति का दावाः

(क) मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघरों द्वारा मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघरों सहित फिल्म

Scanned with OKEN Scanner

प्रदर्शन तथा बिक्री किये गये सिनेमा टिकटों का तिथिवार विवरण प्रस्तुत किया जायेगा।

(ख) मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघरों द्वारा इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से तीन माह तक सिनेमा टिकटों पर भुगतान किये गये एस0जी0एस0टी0 का विवरण प्रस्तुत किया जायेगा।

(ग) मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघरों द्वारा ग्राहकों से एस0जी0एस0टी0 वसूल नहीं किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किया जाना होगा।

(घ) मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघरों द्वारा वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा विहित प्रारूप में एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत किया जाना होगा।

6. संबंधित प्रतिपूर्ति विहित अवधि में फिल्म के प्रदर्शन पर भुगतान किये गये एस0जी0एस0टी0 तक ही सीमित है। उक्त विहित अवधि से पूर्व अथवा विहित अवधि के पश्चात् फिल्म के प्रदर्शन पर भुगतान किये गये एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी।
7. संबंधित प्रतिपूर्ति विषयक व्यवस्था का व्यापक प्रचार–प्रसार महानिदेशक सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखण्ड द्वारा किया जायेगा।
8. मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघरों द्वारा एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति का दावा महानिदेशक सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, देहरादून, उत्तराखण्ड को प्रस्तुत किया जाना होगा।

Digitally signed by
NAVNEET PANDE
Date: 07-02-2026
18:55:22
(नवनीत पाण्डे)
अपर सचिव।

संख्या– 168 /06(120)/2022/XXVII(8)/2026 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वरिष्ठ निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञनार्थ।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, प्रमुख सचिव वित्त को प्रमुख सचिव महोदय के संज्ञनार्थ।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव सूचना विभाग को सचिव महोदय के संज्ञनार्थ।
4. वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव वित्त उत्तराखण्ड को सचिव महोदय के संज्ञनार्थ।
5. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद्।
6. महानिदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
7. गार्ड फाईल।

(नवनीत पाण्डे)
अपर सचिव।

Scanned with OKEN Scanner